# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
## बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

**मुकदमा सं. 24/2019**

**प्रार्थी**

सरकार जरिए उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक, कृषि(विस्तार),सिरोही

***बनाम***

**अप्रार्थी**

श्री राजेन्द्र सैन पुत्र शिवलाल जाति सैन निवासी झाड़ोली तहसील पिण्ड़वाड़ा जिला–सिरोही

**प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**

**उपस्थिति** :–

1. श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं।

## *निर्णय*

**दिनांक 22.12.2020**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.11.2019 को उर्वरक निरीक्षक उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद सिरोही एवं कृषि अधिकारी (गुण नियंत्रण) कृषि अधिकारी (तिलहन) कृषि आयुक्तालय, राजस्थान–जयपुर द्वारा अप्रार्थी की दुकान जो राज टेलर्स नाम से है, का निरीक्षण करने पर बिना लाईसेंस के नेचर–केम ब्राण्ड़ का प्रोम (फास्फोरस रिच आर्गेनिक मैन्युर) के 16 कट्टे एवं सेफरॉन 100% बायो एक्टीवेटर द्रव 1 लीटर क्षमता की 9 बोतल पाये जाने पर अप्रार्थी के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही देने पर एवं बिना परमिट के होने पर कब्जे सरकार लिये जाकर सीज किये एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई एवं जबाव पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये नेचर–केम ब्राण्ड़ का प्रोम (फास्फोरस रिच आर्गेनिक मैन्युर) के 16 कट्टे एवं सेफरॉन 100% बायो एक्टीवेटर द्रव 1 लीटर क्षमता की 9 बोतलों से उनका कोई लेना देना होना नही बताया । अतः प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित माना जाकर दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं अप्रार्थी स्वयं की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस के फर्टीलाईजर का अवैध कारोबार करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त फर्टीलाईजर को कब्जे सरकार लिया गया। उसे समयपहरण (confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी द्वारा दौरा[illegible] करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिये गये फर्टीलाईजर से [illegible] का [illegible] लेना देना नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे [illegible]कार लिये गये फर्टीलाईजर को निस्तारण करने के आदेश [illegible] कृषि विस्तार, [illegible] को समयपहरण (confiscate) [illegible] ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:43:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा नेचर–केम ब्राण्ड़ का प्रोम (फास्फोरस रिच आर्गेनिक मैन्युर) के 16 कट्टे एवं सेफरॉन 100% बायो एक्टीवेटर द्रव 1 लीटर क्षमता की 9 बोतल पाये जाने पर अप्रार्थी के कोई संतोषजनक उत्तर नही देने पर एवं बिना परमिट के होने पर कब्जे सरकार लिये जाकर सीज किये एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था । अप्रार्थी द्वारा कब्जे लिये गये फर्टीलाईजर नेचर–केम ब्राण्ड़ का प्रोम (फास्फोरस रिच आर्गेनिक मैन्युर) के 16 कट्टे एवं सेफरॉन 100% बायो एक्टीवेटर द्रव 1 लीटर क्षमता की 9 बोतल से उनका कोई लेना देना होना नही बताया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये नेचर–केम ब्राण्ड़ का प्रोम (फास्फोरस रिच आर्गेनिक मैन्युर) के 16 कट्टे एवं सेफरॉन 100% बायो एक्टीवेटर द्रव 1 लीटर क्षमता की 9 बोतलों को समयपहरण (confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

उप निदेशक कृषि विस्तार, सिरोही द्वारा लाईसेंस होल्ड़र फर्म को नियमानुसार नीलामी/कम्पनी दर पर वितरण करवाया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। जमा कराने की कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, सिरोही एवं उप निदेशक, कृषि विस्तार, सिरोही अपने स्तर पर करे।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:43:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner